

कृष्णा जल विवाद

प्रलिस के लयः

कृष्णा जल वलवद नुयायाधकरण- II (KWDT-II), [अंतर-राज्य नदी जल वलवद अधनलयम \(ISRWD\)-1956](#), कृष्णा नदी, [भारतीय संवधान का अनुच्छेद 262](#)

मेन्स के लयः

कृष्णा जल वलवद, कृष्णा जल वलवद नुयायाधकरण-II, अंतर-राज्यीय जल वलवद

[सुरतः पी. आई. बी.](#)

चरुा में कुर्युं?

केंदुरीय मंत्रमंडल ने तेलंगाना और आंधुर प्रदेश (AP) राजुर्युं के बीच नररणय हेतु [अंतर-राज्य नदी जल वलवद अधनलयम \(ISRWD\)-1956](#) के तहत मूजूदा कृष्णा जल वलवद नुयायाधकरण- II (KWDT-II) के लयः एक अन्य संदरुभ की शरुतुं (ToR) के मुदुदे को मंजूरी दे दी है । ।

कृष्णा जल वलवद नुयायाधकरण-II (KWDT-II):

- कृष्णा जल वलवद नुयायाधकरण-II का गठन केंदुर सरकार दुरारा अपुरैल 2004 में ISRWD अधनलयम, 1956 की धारा 3 के तहत कृष्णा नदी से संबंधतः **जल-वतरण/नररुतुरण वलवदुं को नपऱटाने और सुलझाने के लयः** कयः कयः गया था ।
- इसका गठन महाराषुदुर, कुरनाटक और आंधुर प्रदेश राजुर्युं के बीच कृष्णा नदी के जल-वतरण/नररुतुरण वलवद का समाधान करने के लयः कयः गया था ।
- KWDT-II ने जल की उपलबुधता, राजुर्युं को इसकी आपुररुतः और अन्य पुरासंगकः कारकुं के आधार पर कृष्णा नदी के जल की अनुशंसा एवं आवंटन सुनशऱतः कयः । इसने पुरतुयेक राजुर्युं को एक नशऱतः मातरा में जल उपलबुध करायः, इसमें उस पुरतुयेक हसऱसे को रेखऱंकतः कयः गया जसऱे वे पुरापुत करने के हकदार थे ।

कृष्णा जल वलवदः

- पुरचऱयः
 - कृष्णा जल वलवद महाराषुदुर, कुरनाटक, तेलंगाना और आंधुर प्रदेश राजुर्युं के बीच कृष्णा नदी के जल के नुयायसंगत वतरण पर केंदुरतः है ।
 - कृष्णा नदी इन राजुर्युं से हुकर बहती है और वलवद उतुपनन होने का पुरमुख कारण राजुर्युं की अलग-अलग जुररुतुं, ऐतहऱसकः मतभेद और राजनीतकः व पुरशासनकः पुरदुरशुय में बदलाव है ।
- पृषुठभूमः
 - वलवद का केंदुरः आंधुर प्रदेश में कृष्णा नदी पर सुथतः शुरीशैलम बाँध वलवद का पुरमुख केंदुर है । आंधुर प्रदेश ने वदऱयुत उतुपादन के लयः शुरीशैलम बाँध के जल के तेलंगाना दुरारा उपयुग का वरुधऱ कयः ।
 - वलवद की पृषुठभूमः इस वलवद का संबंध वरुष 1956 में आंधुर प्रदेश के गठन से है और इसका समाधान वरुष 1973 में कृष्णा जल वलवद नुयायाधकरण (KWDT) के माधुयम से कयः गया था । कृष्णा नदी के जल को पुनः आवंटतः करने के लयः वरुष 2004 में दूसर कृष्णा जल वलवद नुयायाधकरण की सुथापना की गई थी ।
 - KWDT आवंटन (वरुष 2010): दूसरे कृष्णा जल वलवद नुयायाधकरण दुरारा वरुष 2010 में पुरसुतुत की गई रऱपुडुर में कृष्णा नदी के जल का आवंटन इस पर **65% नरऱभरता** और अधशेष पुरवाह के लयः नमऱनानुसार कयः गयाः
 - महाराषुदुर के लयः 81 हजुरार मलयऱन घन (TMC) फुडऱ, कुरनाटक के लयः 177 TMC और आंधुर प्रदेश के लयः 190 TMC ।
 - आंधुर प्रदेश की चुनूतऱयऱः वरुष 2011 में आंधुर प्रदेश ने एक वशेष अनुमतऱ यऱचकऱ सहतः कानूनी कारुयवाही के माधुयम से सरुवुचुच नुयायालय के समकषु KWDT दुरारा कयः गये आवंटन को चुनूतऱ दी ।

- वर्ष 2013 में KWDT ने एक **अन्य रपिर्ट** जारी की, जिसे वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश द्वारा फरि से **सर्वोच्च न्यायालय** में चुनौती दी गई।
- तेलंगाना के गठन के बाद वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश ने चार राज्यों के बीच कृष्णा जल आवंटन की समीक्षा की मांग की।
- महाराष्ट्र और कर्नाटक ने तर्क प्रस्तुत किया कि **तेलंगाना का निर्माण आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हुआ था**। इसलिये जल का आवंटन आंध्र प्रदेश के हिससे में से होना चाहिये, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी।
- **संवैधानिक ढाँचा:**
 - **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262** अंतरराज्यीय जल विवादों के न्यायनियमन का प्रावधान करता है, जिसे संसद को इस उद्देश्य के लिये कानून बनाने की अनुमति मिलती है।
 - **अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956** केंद्र सरकार को राज्यों के बीच जल विवादों को सुलझाने के लिये तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।
- **वर्तमान स्थिति:**
 - KWDT संदर्भ की नई शर्तें प्रदान करेगा जिसके तहत न्यायाधिकरण भविष्य में कृष्णा नदी के जल को दोनों राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विभाजित करेगा।
 - यह दोनों राज्यों में विकासात्मक या भविष्य के उद्देश्यों हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं के लिये परियोजना-वार जल आवंटित करेगा।

कृष्णा नदी:

- **स्रोत:** इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर (सतारा) के नजिक होता है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
- **दूरेनेज:** यह बंगाल की खाड़ी में गरिने से पहले चार राज्यों महाराष्ट्र (303 कि.मी.), उत्तरी कर्नाटक (480 कि.मी.) और शेष 1300 कि.मी. तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है।
- **सहायक नदियाँ:**
 - **दाई ओर की सहायक नदियाँ:** घटप्रभा, मल्लप्रभा और तुंगभद्रा।
 - **बाई ओर की सहायक नदियाँ:** भीमा, मुसी और मुन्नेरु।



- **जलवदियुत विकास:**
 - कृष्णा नदी बेसनि में प्रमुख जल वदियुत स्टेशन कोयना, तुंगभद्रा, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, अलमाटी, नारायणपुर और भद्रा हैं।
- **पौराणिक महत्त्व:**
 - कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली एक विशालकाय नदी है। इसे पुराणों में कृष्णवेना अथवा योगनीतंत्र (एक तांत्रिक ग्रन्थ) में कृष्णवेणी के नाम से जाना जाता है।
 - इसे **जातकों और खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में कान्हापेन्ना** के नाम से भी जाना जाता है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/krishna-water-dispute-1>

